भारतीय उच्चत्तम न्यायालय

क्रिमिनल अपीलेट क्षेत्राधिकार

क्रिमिनल अपील संख्या. 645/2019

क्रिमिनल एस. एल. पी. संख्या . 626/2015

राजस्थान सरकार अप्पेलांट

बनाम

कन्हैया लालरेस्पोंडेंट

निर्णय

एम .आर. शाह जस्टिस.

- 1. अनुमति दी।
- यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के न्याय विभाग की डिवीजन बेंच के निर्णय दिनांक 23.05.2014 जो की आपराधिक अपील संख्या 303 /2009 में पारित हुआ है में उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय की धारा 304 भाग क के तहत दोषी ठहराया।

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1000 / - रुपया का जुर्माना अदा करने के लिए प्रतिवादी को आदेशित किया और जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर , एक महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई । राज्य ने उक्त फैसले के खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी।

एक दलीप कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन निम्बाहेडा में FIR नंबर 32/2008 दर्ज कराई गई थी। यह आरोप लगाया गया कि 26.01.2008 को, जब PW5 सुश्री कैलाशी खेत से लौट रही थी तब उनकी उपस्थिति में, कन्हैया लाल ने राजू (मृतक) के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हमला किया । PW5 के अनुसार, राजू नीचे गिर गया और इसके रोने पर, अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंच गए। आरोपी भाग गया। उस राजू ने चोट के कारण दम तोड़ दिया। जांच के समापन के उपरांत , जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया । कि आरोपी ने फरियाद की वह दोषी नहीं है और इसलिए उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा का सामना करना पडा । अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों को परीक्षित करवाया जिसमे पीडब्लू 1 डॉ के.आसिफ , जिन्होंने चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श 1) जारी की थी, PW5 सुश्री कैलाशी; PW15 डॉ. अनीस अहमद, जिन्होंने मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार को थी। गवाहों के माध्यम से जिनकी जांच की गई, अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाया गया जिसमे चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श प 1) और साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शामिल थी । उसके बाद, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी ने कहा कि उसे झुठा फंसाया गया है। आरोपी द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य / गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद, सबूत की सराहना पर, विद्वान् सेशन कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं साथ में 1000 रुपये के जुर्माने को सजा सुनाई और जुरमाना न जमा करवाने को सूरत में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई.

- विद्वान सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय , सजा के आदेश और पारित सजा से दुखी और असंतुष्ट होकर प्रतिवादी अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या 303 /2009 को प्राथमिकता दी, उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 303/2009 में दिए गए निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जोकि अभियुक्त द्वारा की गयी थी और अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 के बजाय आईपीसी की धारा 304 भाग क के तहत दोषी ठहराया है । इसलिए, राज्य द्वारा वर्तमान अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ जिसमे कोर्ट द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का भाग क में दोषी माना है।
- अपीलकर्ता राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने सख्ती से प्रस्तुत किया है की मामले के तथ्य और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटि हुई है जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के

तहत सजा के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का भाग क में दोषी माना है.

अपीलकर्ता राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने सख्ती से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का भाग क में दोषी माना है, इसका मुख्या कारण यह है कि मृतक के सर पर सिर्फ एक चोट करित हुई है. उन्होंने यह भी पक्ष रखा है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आरोपी ने एक कुल्हाड़ी से वार किया था जोकि एक घातक हथियार है और वह भी शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी सिर पर । यह प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सकीय प्रमाण के अनुसार, सिर की चोट प्रकृति के साधारण पाठ्यक्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, उच्च न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के

तहत सजा के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का भाग क में दोषी मान उचित नहीं किया है।

- 4.2 इसके आगे अपीलकर्ता राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक और कारण दिया गया है यह है कि अभियुक्तों और मृतक के बीच कोई विवाद था और इसलिए यह कहा जा सकता है इस मामले कि परिस्थितियों में आरोपी की ओर से मौत करित करने का इरादा नहीं था । यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने और उसकी प्रशंसा / पुन: प्रशंसा करने में विफल रहा है कि उस समय जब यह घटना घटी थी, उस समय कोई झगड़ा नहीं था और झगड़ा कुछ घंटों पहले हुआ था,उस समय नहीं जब घटना हुई थी।
- 4.3 अपीलार्थी राजस्थान राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह प्रकट किया है कि प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और मृतक के आयी चोटो से यह प्रकरण स्पष्ट रूप से हत्या का है जोकि आईपीसी की धारा 300 की परिभाषा के भीतर हत्या

का मामला और इस तरह विद्वान् सत्र न्यायालय ने आरोपी को सही रूप से आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था. रिकॉर्ड पर सबूत पूरी तरह से विपरीत है और इसलिए इस न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी मूल अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए सख्ती से प्रस्तुत किया है कि आरोपी की सजा को भारतीय दंड संहिता से धारा 304 पार्ट **धारा** 302 क में बदलते समय उच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय कारण बताये गए है ओर न्यायालय द्वारा प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किया है ओर इसके पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अभियुक्त का इरादा मृतक को मारने का नहीं कहा जा सकता यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित परिस्थितियों पर विचार किया है और इसके बाद सजा को भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 को भारतीय दंड संहिता कि धारा 304 भाग क से सजा को

परिवर्तित कर दिया गया है ओर यहा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है।

- 6. दोनों पक्षों कि ओर से प्रस्तुत हो रहे विद्वान् अधिवक्ताओ को विस्तरित रूप में सुना गया ।
 - ा हमने सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर विस्तार से विचार किया है। विद्वान् सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। हालांकि, अभियुक्त द्वारा अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से आईपीसी की धारा 304 भाग I में रूपांतरित किया है। जबिक ऐसा करने पर, उच्च न्यायालय द्वारा अनुछेद 15 में निम्नलिखित कारण दिए है-
 - 15। मामले की परिस्थितियों में, यह संदेह से परे साबित होता है कि राजमल की मृत्यु अभियुक्त कन्हैया लाल द्वारा उसके सिर पर करित एक कुल्हाड़ी कि चोट से हुई है। यह भी एक स्वीकार तथ्य है कि एक से ज्यादा चोट

नहीं है इसके अलावा, यह भी रिकॉर्ड में है कि घटना के दिन की सुबह, आरोपी और मृतक के बीच एक विवाद था और इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रकरण कि परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के कोई इरादा आरोपी अप्पेलंट का नहीं था लेकिन इस अधिनियम द्वारा जिस कारण मृत्यु हुई थी ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी की ओर से मृत्यु का कोई इरादा नहीं था इस तरह की शारीरिक चोट करित करने के इरादा था जिससे मौत की संभावना थी और इसलिए उसकी सजा भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 के बजाय भारतीय दंड संहिता कि धारा 304 पार्ट । में बदल देनी चाहिए । अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 के अंतर्गत दे गयी सजा को धारा 304 भाग । परिवर्तित करते हुए दिया गया मुख्य कारण यह है कि यह प्रकरण एक मात्र चोट से सम्बंधित है, यहाँ यह देखना जरुरी है कि मृतक उसी एक चोट जोकि सर पर मारी गयी थी से मारा गया है जोकि कुल्हाड़ी से कारित कि गयी थी . उपरोक्त तथ्य सजा को भारतीय दंड संहिता कि धारा 302

को 304 पार्ट १ में बदलने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता ।

अरुण राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने देखा और यह माना कि जब भी एक चोट कारित की जाती है तो कोई निश्चित नियम नहीं होता है कि धारा 302 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। यह मनाया जाता है और इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में यह निर्धारित किया है कि जिस तरह के हथियार के इस्तेमाल किया गया ओर शरीर के जिस नाजुक भाग पर चोट कारित कि गयी इस बात को संदेह से परे साबित करते है कि आरोपी का उद्येश्य मृतक कि मृत्यु कारित करने का था. इसके अलावा यह भी देखा गया है ओर इस कोर्ट द्वारा अभिनिधीरित किया गया है कि एक बार जब ये सारे तत्त्व प्रमाणित हो जाते है तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि वार एक बार किया गया है या फिर कई बार किया गया है।

6.4 अशोककुमार मगाभाई वणकर (सुप्रा) के मामले में, मौत मृतक के सिर पर एक झटका लगने से हुई थी एक लकड़ी के मूसल के साथ। पता चला कि आरोपी मूसल का इस्तेमाल करते थे इस तरह के बल के साथ कि मृतक का सिर टुकड़ों में टूट गया। इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या मामला धारा 302 के तहत आएगा या IPC की धारा 300 का अपवाद 4 के तहत. इस कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक पर जिस तरह कि चोट कारित कि गयी है वह न केवल आरोपी की मृतक को जान से मारने की मंशा को दर्शाता है बल्कि यह भी दर्शाता है की इस बात की पूरी जानकारी आरोपी को थी । यह भी देखा गया है कि इस तरह का वार सिर्फ मृतक कि मृत्यु कारित करने के लिए ही हो सकता है। यह भी देखा गया है कि कोई भी समझदार इंसान अपनी सोच के किसी भी दायरे से सोचे इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस तरह कि चोट जोकि शरीर के प्रमुख अंग पर ऐसे हथियार से कारित कि जाए जिससे मृत्यु निश्चित है ।

6.5 इसी तरह का निष्कर्ष इस कोर्ट द्वारा लीला राम उर्फ़ लीला धरर (सुपरा) में अन्य कई फैसलो को ध्यान में रखते हुए इसी बिंदु पर यानी कि एक चोट के प्रकरण में यह पाया है कि क्या इस तरह के प्रकरण भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 के तहत या फिर भारतीय दंड संहिता कि धारा 304 पार्ट १ के तहत आएंगे, इस कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को बदला गया (उस प्रकरण में भी निर्णय उच्च न्यायालय राजस्थान का था) और आरोपी को भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 के आधीन अपराध कि सजा दी गयी. इसी निर्णय में इस कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा 300 के एक्सेप्शन ४ पर अनुच्छेद -

"21 में यह देखा गया कि " एक्सेप्शन 4 के अंतर्गत गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है अगर उस सेक्शन में दी गयी शर्ते पूरी होती हो १) कि अधिनयम को बिना किसी पूर्विचंतन के किया गया हो २) अकस्मात् झगड़ा हुआ हो ३) अधिनियम जो है वो अकस्मात् लड़ाई के दौरान स्थिति कि गहमागहमी में होना चाहिए ४) अपराध कारित करने वाले द्वारा स्थिति का

फायदा नहीं उठाना चाहिए और उसका व्यवहार बर्बरता पूर्वक नहीं होना चाहिए। "

- इस कोर्ट द्वारा लागू किये गए क़ानून जोकि ऊपर विचार किये गए प्रकरणो में अभिनिर्धारित कि गयी है को इस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में लागू करने पर और जो उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी कि सजा को भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 से धारा 304 पार्ट 1 में परिवर्तित किये जाने के पीछे दिए गए विचारण जोकि अनुच्छेद 15 में दिए गए है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उच्च न्यायालय के आदेश विकृत है ओर रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के बिलकुल विपरीत है। पी.डी 1 डॉ क.आसिफ कि साक्ष्य के अनुसार मृतक के निम्नलिखित चोट आयी थी।
 - १) इंसीसेड वॉंड 7 cm * 0 .5 cm खाल तक गहरी और सर की हड्डी बीच से दिख रही थी ।
 २) खरोंच 1cm * 0 .5cm दाए पैर के बीच के हिस्से में।

पी डी 15 डॉ अनीस अहमद के अनुसार एक 4 cm का अस्थिभंग परीतल और ऑक्सिपिटल रीजन में पाया गया । उन्होंने यह भी कहा है कि यह सर पर लगी चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार आरोपी ने शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर घातक हथियार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जो घातक साबित हुआ।

3. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और कारण यह है कि वहाँ कोई दोहराया चोट नहीं थी। यह शायद ही कोई ग्राउंड हो जिससे कि भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 से धारा 304 के भाग I में सजा को परिवर्तित किया जा सके। सिर जैसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर एक ही जोरदार वार वह भी घातक हथियार कुल्हाड़ी द्वारा और बल के साथ प्रयोग किया गया जो घातक सिद्ध हुआ और यह धारण करने के लिए पर्याप्त था कि यह हत्या का मामला था जोकि आईपीसी की धारा 300 की परिभाषा के भीतर आता है।

8.1 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और कारण यह है कि घटना के दिन, सुबह में आरोपी और मृतक के बीच एक झगड़ा हुआ और इसलिए यह कहा जा सकता है मामले की परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन वह तथ्य जिसके कारण मृत्यु कारित हुई यह दर्शाता है कि इरादा ऐसी चोट पहुंचाने के था जिससे मृत्यु हो जाए। उपरोक्त तथ्य रिकॉर्ड पर आयी साक्ष्य के विपरीत है। यहाँ यह नोट करना आवश्यक है कि यह आरोपी के वह केस नहीं है जहा यह ये कह सके कि जब घटना घाटी उसी वक्त आरोपी ओर मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। अगर कोई झगड़ा हुआ भी था तो वह सुबह हुआ था जोकि घटना के समय से बहुत पहले था। सिर्फ इसी कारण कि झगड़ा बहुत पहले हुआ हो सकता था और बिलकुल घटना के समय के नज़दीक नहीं हुआ था, इसका निष्कर्ष यह नहीं निकला जा सकता कि आरोपी का मृतक को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था इसलिए उपरोक्त कारण से उच्च न्यायालय से गंभीर त्रुटि हुई है जोिक भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 के तहत सजा को धारा 304 पार्ट १ में परिवर्तित करने के कारण हुई है। इस प्रकार, हम इस विचार के हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय प्रकट रूप से विकृत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से विपरीत । उच्च न्यायालय ने फेरबदल में गंभीर त्रुटि की है जोकि भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 के तहत सजा को धारा 304 पार्ट १ में परिवर्तित करने के कारण हुई है। और इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप न्याय के हितों की पूर्ण विफलता को कम करने के लिए आवश्यक है।

उपर दिए गए कारणों और उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, हम इस अपील की अनुमित देते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय को अस्वीकार करते है और ट्रायल

कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले को बहाल करते है जहा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा सुनाई गयी थी जिसके अनुसार प्रतिवादी आरोपी विद्वान् विचारण न्यायालय के अनुसार आजीवन कारावास की सजा भुगतेगा । अगर आरोपी पहले ही उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सजा काटकर जेल से बाहर आ चूका है तो प्रतिवादी आरोपी अपनी बाकी सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण कर देगा ।

इस आदेश की एक प्रति रिजस्ट्री द्वारा संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट को अनुपालन हेतु अग्रेषित की जाएगी।

>जस्टिस (एल . नागेश्वर राव)

.....जस्टिस (<u>एम .आर.</u>. शाह)

नई दिल्ली अप्रैल 10, 2019 डिस्क्लेमर-: शाब्दिक भाषा में अनुवादित निर्णय मुकदमेबाज पक्षों के प्रतिबंधित उपयोग के लिए है जिससे वह उसकी भाषा को समझे, इसके आलावा अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के क्षेत्र में अंग्रेजी संस्करण ही उपयोगी होगा।